स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-3023/17 श्र0सं0- 155

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय/गया/कटिहार/मुजफ्फरपुर/पटना/पूर्णियाँ/समस्तीपुर/सीतामढी।

पटना, दिनांक:- 21-2-18

विषय:- मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष- केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड-8000-26-2230011120405) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour-2016 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक- S-11012/04/2017-BL **dated**-13-09-17 के माध्यम से समस्तीपुर, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी एवं बेगूसराय जिलों के विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु Rs. 7,60,000/- तथा पत्रांक- S-11012/04/2017-BL **dated**-27-11-17 के माध्यम से कटिहार, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर जिलों के विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 9,20,000/- मात्र **अर्थात कुल राशि रू. 16,80,000/-(₹ सोलह लाख अस्सी हजार)** मात्र उपलब्ध करायी गयी है।

2. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त राशि को वित्त विभाग के **ज्ञापांक-ब.14/बी.सी.एफ-80/2017दिनांक**-**10.01.18** के माध्यम से बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त की गयी है। आकस्मिकता निधि से प्राप्त इस राशि को जिलों में गठित कॉरपस फंड से भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 84 बंधुआ मजदूरों के लिये ₹ 20,000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से कुल **₹ 16,80,000/-(₹ सोलह लाख अस्सी हजार) मात्र का आवंटन, विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान** से संलग्न विवरणी के अनुसार किया जाता हैं।

3. यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-942 दिनांक-16.02.18 के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

6. यह आवंटन केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

21/2/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-**6/एफ1-3023/17** श्र0सं0- 155 पटना, दिनांक 21.2.18

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-**6/एफ1-3023/17** श्र0सं0 155 पटना, दिनांक 21.2.18

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः-अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/***संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित श्रम अधीक्षक/** संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-424 एवं 442 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-08.12.17 एवं 26.12.17 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. **संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर इसका व्यय 15 मार्च 2018 तक सुनिश्चित करवा कर उसका उपयोगिता/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ससमय प्रेषित करवायेगें।**

3. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01)द्वारा किया जायेगा ।

21/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-**6/एफ1-3023/17** श्र0सं0- 155 पटना, दिनांक 21.2.18

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक सहित आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-942 दिनांक-16.02.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष- केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड-8000-26-2230011120405) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	विमुक्त बंधुआ मजदूरों की संख्या	**Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour-2016** के अन्तर्गत जिलों में गठित कॉरपस फंड से भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में विषयशीर्ष 0405. 37.01 अनुग्रह अनुदान में उपलब्ध करायी गयी ₹ 20,000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4
1	बेगूसराय	4	80000
2	गया	15	300000
3	कटिहार	6	120000
4	मुजफ्फरपुर	7	140000
5	पटना	10	200000
6	पूर्णियाँ	1	20000
7	समस्तीपुर	38	760000
8	सीतामढी	3	60000
	कुल योग	84	**1680000**

कुल आवंटित राशि ₹ 16,80,000/-(₹ सोलह लाख अस्सी हजार) मात्र।

(हस्ताक्षर) 21/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।